अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6339 (अ).— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पोषण भोज्य एवं पूर्व-मिश्रण के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोषण भोज्य एवं पूर्व-मिश्रण के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2018 है।
 - (2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पोषण भोज्य एवं पूर्व-मिश्रण के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) नियम, 2013 के नियम-14 के उप-नियम (2), के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
 - "(2) प्रसंस्करणकर्त्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि: शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य एवं कर(रों) के 0.20% की दर से, प्रति माल न्यूनतम 2000 रुपये के अधीन, उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता होगा।"

[फा. सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण] संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. 3524(ई) दिनांक 28 नवम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

- S.O. 6339(E).— In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Feed Additives and Premixtures (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 2013, namely:
- These rules shall be called the Export of Feed Additives and Premixtures (Quality Control and Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Export of Feed Additives and Premixtures (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2013, for sub-rule (2) of rule 14, the following sub-rule shall be substituted, namely: -
 - "(2). A monitoring fee at the rate of 0.20% of free on board (F.O.B) value and tax (s), as applicable, shall be paid by the processor or the exporter subjected to minimum of Rs. 2000 per consignment to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.25 lakhs per annum per exporter or processor."

[F. No. 16012/43/2017 - Export Inspection] SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note.- The Principal Rules were published in Gazette of India Extraordinary, vide S.O. 3524(E) dated the 28th November 2013.